सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 391/17 **निर्णय दिनांक—09.07.2018**

1. लालचन्द पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी राववाला (कबरेवाला) तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कोलायत

—रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 19—02—2010
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़

उपस्थितः—

1. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन के आदेश दिनांक 19—02—2010 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन आवेदन निरस्त किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ. गा.न.प.क्षेत्र मे राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने विशेष आवंटन के तहत चक 6 बीएमआर के मुरब्बा

नम्बर 108/57 की भूमि आवंटन किये जाने हेतु श्रीमान् सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। अपीलांट द्वारा आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये थे। जिस पर लम्बे समय तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 19—02—2010 को अपीलांट को सबूत व सुनवाई का अवसर दिये बिना सरासर एकतरफा तौर पर अपीलांट के आवंटन आवेदन को निरस्त कर दिया जो कानून एवं विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट अन्य गांव का निवासी होने के कारण वरियता से बाहर है। जबकि आवंटन नियमों में वरियता अथवा पात्रता निर्धारण करने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अतः अपीलाधीन आदेश आवंटन नियमों के विपरीत होने से व कानून एवं विधि के विरूद्व होने से निरस्त योग्य है।

पत्रावली में अपीलांट को नोटिस जारी करने का आदेश नहीं दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूप से पालना नहीं की गई है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है, सद्भावी काश्तकार है व बीकानरे, राजस्थान का मूल निवासी है। अपीलांट भूमि आवंटन की पात्रता रखता है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अपीलांट को सबूत व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर अपीलांट का आवेदन निरस्त किया गया है जो कानून व विधि के विरूद्व है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि वादगत् भूमि के बाबत् अन्य आवेदकों द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अदालत हाजा द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 73/18 पून्नू खॉ बनाम कैलाशचन्द व अपील संख्या 74/18 पून्नू खॉ बनाम सरकार आदि में दिनांक 28—03—2018 को निर्णय पारित करते समय

सभी पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। चूंकि अपीलांट द्वारा भी उसी वादगत् भूमि हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है तथा अपीलांट के हित भी वादगत् भूमि में निहित है। ऐसी स्थिति में न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 28—03—2018 के अनुसरण में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जावे कि वे वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार के बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद धोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 19—02—2010 के विरूद्व अपील दिनांक 15—11—17 को पेश की है। जो करीब 07 वर्ष से अधिक विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट अन्य गावं का निवासी होने के कारण वरियता से बाहर है अतः आवेदन खारिज किया जाता है। अतः अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया है। अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ के समक्ष विशेष आवंटन के तहत आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा आवेदन पत्र के साथ समस्त

आवश्यक दस्तावेजात् भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 19—02—2010 को अपीलांट का प्रार्थना इस आधार पर खारिज किया गया कि अपीलांट अन्य गावं का निवासी होने के कारण वरियता से बाहर होने के कारण आवेदन खारिज किया जाता है।

(2) हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष चक 5 एमआरएम के मुरब्बा नम्बर 184/12 के विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अपीलांट के आवंटन प्रार्थना पत्र पर आवंटन सलाहकार समिति की राय से यह निर्णय लिया गया है कि प्रार्थी अन्य गावं का निवासी होने के कारण वरियता से बाहर मानते हुए अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है।

(3) इस संबंध में हमने अदालत मातहत की पत्रावली व अभिभाषक अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 28—03—2018 का भी अवलोकन किया। वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट के साथ—साथ अन्य 11 आवेदकों द्वारा भी वादगत् भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये थे। न्यायालय हाजा द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् प्रस्तुत अपील संख्या अपील संख्या 73/18 पून्नू खॉ बनाम कैलाशचन्द व अपील संख्या 74/18 पून्नू खॉ बनाम सरकार आदि में दिनांक 28—03—2018 को निर्णय पारित करते समय पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है।

चूंकि अपीलांट द्वारा भी अदालत मातहत के समक्ष वादगत् भूमि चक 6 बीएमआर के मुरब्बा नम्बर 108/57 हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि में अपीलांट के हित भी निहित होना साबित है। लिहाजा न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 28—03—2018 के अनुसरण में हम उचित पाते है कि वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित होगा।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश सहायक आयुक्त उपनिवेयन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर दिनांक 19—02—2010 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को इस निर्देशि के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 09.07.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर